

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 532  
दिनांक : १५. ८. २०१२

सचिव,  
रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर,  
गाजियाबाद

महोदय,

अनुसंधिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-545/71-2-12-एन-52/2011, दिनांक 11.04.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उम्प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत उम्प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के अधीन रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर, गाजियाबाद को एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 150 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. संस्था द्वारा निरीक्षण आख्या/प्रपत्र वी में इंगित कमियों/सभी अर्हतायें तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-एम०सी०आई०-34(41)/2011-मेड/20713 दिनांक 30.06.2011 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लिया जायेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उम्प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सैन्टर, गाजियाबाद को एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 150 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

मवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवर्साईट पर डालने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव